अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 213.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तकनीकी सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1986 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

				अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीद लिए आयु-सीमा	वारों के	क्या के न्द्री सिविल से व (पेंशन) नियमावल पद 1972 के निय 30 के अंतर्ग सेवा में जोड़े र वर्षां का ला ग्राहय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(6क)
तकनीकी सहायक	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-बैंड 1, 5200— 20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों व सरकार द्वारा समय-समय गए अनुदेशों या आदे 35 वर्ष के लि टिप्पण : आयु स्करने के लिए निभारत (अंडमान अंद्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीण में उम्मीदवारों से आवे के लिए अन्तिम तारीख कार्यालयों के माध्यम से में, आयु-सीमा निधीं निर्णायक तारीख रोजगा नाम भेजने के लिए क तारीख होगी।	ते लिए केन्द्रीय । पर जारी किए शों के अनुसार ए शिथिलनीय) गिमा निर्धारित णीयक तारीख ौर निको बार म को छोड़कर) रन प्राप्त करने होगी। रोजगार भर्ती के मामले रेत करने की र कार्यालयों से	नहीं
सीधे भर्ती वा अन्य अर्हताए		लिए अपेक्षित शौ	क्षिक तथा	के लिए	ग्री भर्ती वाले उम्मीदवारों हिं निर्धारित आयु तथा पदोन्नित वाले उम्मीदवारों नागू होंगी	परिवीक्षा की उ	मविध, यदि कोई हो
	(7	')			(8)	(9))
		विषयों सहित बी षा प्रयोगशाला य		ल	गियू नहीं होता	2 वर्ष (सीधी	भर्ती वालों के लिए

प्रयोगशाला में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।

(7)

3. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान ।

नोट 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

नोट 2 : यदि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए, इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो लिखित रूप में कारण बताकर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

भर्ती की पद्धित : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो, वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है

(10)

अल्पकालिक संविदा/स्थानांतरण सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

अल्पकालिक संविदा/स्थानांतरण सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों/दिल्ली विश्वविद्यालय/जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वे अधिकारी, जो :--

- (क) (i) सदृश पदों पर कार्य कर रहे हों, या जिन्होंने 2400 रु. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. वाले पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, और
- जो कॉलम 7 में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (ख)
 - (iii) (उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध साधारणत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है

(12)

समूह 'ग' विभागीय पदोन्ति समिति (स्थायीकरण पर विचार

(13)लागू नहीं होता ।

1. निदेशक या उप-सचिव, गृह मंत्रालय (प्रशासन के प्रभारी)

करने के लिए):-

-अध्यक्ष

2. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग

3. राजभाषा विभाग से एक उप-सचिव

-सदस्य

4. अवर सचिव, गृह मंत्रालय (प्रशासन के प्रभारी)

—सदस्य

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा.-V] अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2011

- G.S.R. 213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Technical Assistant Recruitment Rules, 1986, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs Technical Assistant, Recruitment (Amendments) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Technical Assistant Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or Non- selection post	Age limit for dire	ect recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(6a)
Technical Assistant	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, Rs. 5200—20200 with the Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Between 18 and (Relaxable up to for Government up to 5 years in a with the instruct orders issued Central Government time to time.) Note: The crucia determining the shall be the closs for receipt of approximation and approximation and areas (other than than and Islands or laksh In case of apport through emplexchange, the crufor determining limit shall be the up to white Employment Exare asked to sunames.	35 years servants scordance tions or by the ment from all date for age limit sing date olications in India hose in Nicobar adweep). Dintment loyment acial date is the age clast date on the schanges	No
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
	(7)			(8)		(9)	
Essential: 1. B.Sc. subject	with Physics	and Mathemati	es as	Not ap	pplicable	2 years (for	r direct recruits only)

(7)

2. Three years experience of Computer Operation of working in Language Laboratory or Phonetics Laboratory.

3. Working knowledge of Hindi.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)

Transfer on deputation including short term contract/ transfer failing which by direct recruitment.

(11)

Transfer on deputation including short term contract/Transfer:-Officers of the Central Government offices located in Delhi/Delhi University/Jawaharlal Nehru University:-

- (a) (i) Holding analogous posts or with five years regular service in a post in PB-1, Rs. 5200-20200 with the Grade Pay of Rs. 2400; and
- (b) Possessing the qualifications and experience prescribed in column 7.
 - (iii) (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organisation shall ordinarily not exceed 3 years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Not applicable.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :-

--Chairman

- 1. Director/Deputy Secretary, MHA (in-charge of Admn.)
- 2. Director (Technical), Department of Official Language 3. A Deputy Secretary from Department of Official Language —Member
 - -Member
- 4. Under Secretary (in-charge of Admn.), MHA
- -Member

[F. No. A-12018/01/2010-Ad. V] ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.